Development of Smart Class Room in 59 Schools of Pakur District under Aspirational District Programme

निविदा की शर्त्ते

01. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत पंजीकृत संवेदक ही निविदा दे सकेंगे।
02. निविदादाता को वणिज्यकर विभाग (GST) एवं आयकर विभाग का अद्यतन निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. चयनित संवेदक को उल्लेखित मानक के अनुरूप, निर्धारित समय–सीमा में (कार्यादेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर) कार्य का निष्पादन पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में सुरक्षित राशि जब्त करते हुए विभागीय कार्रवाई की बाध्यता होगी।
04. उल्लेखित कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचित दर से अधिक दर मान्य नहीं होगा
05. परिमाण विपत्र का क्रय एवं अग्रधन की राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट जो District P rograme Coordinator, Rashtriy Madhamik Shiksha Abhiyan, Pakur के नाम देय तथा भुगतेय हो के साथ किया जा सकेगा। परिमाण विपत्र के साथ अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
06. निविदा का निष्पादन संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित तिथि को निविदा समिति द्वारा किया जायेगा।
07. विज्ञापनदाता को किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द एवं संशोधन का अधिकार सुरक्षित होगा। विवाद की स्थिति में उपायुक्त, पाकुड़ का निर्णय अंतिम होगा।
08. प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि मान्य होगी।
09. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित समुचित श्रेणी में फोटोयुक्त निबंधन प्रमाण पत्र/पंजीकरण (नवीनीकृत) पत्र, पैन कार्ड की प्रति, अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति, GST निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति, विगत तीन वर्षों के वार्षिक आयकर रिटर्न की प्रति एवं अन्य आवश्यक कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।
10. परिमाण विपत्र समुचित श्रेणी के संवेदक को स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जो संवेदक के द्वारा प्राधिकृत हों, को समर्पित कागजातों के जॉच के पश्चात समुचित मूल्य अदायगी पर निर्गत किया जायेगा।
11. निविदाकार सभी निविदा कागजातों के सभी पृष्ठों का क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित कर प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ट संख्या अंकित करेगें, अन्यथा भविष्य में किसी तरह के विवाद के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
12. परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट District Programe C oordinator, Rashtriy Madhamik Shiksha Abhiyan, Pakur के रूप में स्वीकार किया जायेगा जो लौटाया नहीं जायेगा। बैंक ड्राफ्ट District Programe Coordinator, Rashtriy Madhamik Shiksha Abhiyan, Pakur के पदनाम से देय होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक पाकुड़ ब्रॉच में भुगतेय होगा। केवल भारतीय स्टेट बैंक का ही ड्राफ्ट मान्य होगा।
13. निविदा के साथ परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि व्यक्तिगत नाम से पंजीकृत संवेदक अग्रधन के रूप में झारखण्ड के अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8 वां निर्गम)/ तीन/पाँच वर्षीय सावध ी डाकघर जमा पासवुक दे सकते है। व्यक्तिगत श्रेणी के निबंधन के लिए बैंक गारंटी मान्य नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत नाम के अतिरिक्त पंजीकृत संवेदक यानि फर्म, कम्पनी अग्रधन राशि के रूप में बैंक गारंटी,

राष्ट्रीय बचत (8 वां निर्गम), तीन/पाँच वर्षीय सावधि जमा डाकघर पासबुक दे सकते है जा ` District Programe Coordinator, Rashtriy Madhamik Shiksha Abhiyan, Pakur . के नाम से प्रतिज्ञित हो, संलग्न कराना आवश्यक है।

14. निविदा में संवेदक एक ही मुहरब ंद लिफाफा में निर्गत परिमाण विपत्र पर अपना दर अंकित कर अन्य वांछित कागजात, अग्रधन की राशि आदि कागजात डाल`गें। लिफाफा के उपर कार्य का नाम, निविदादाता का नाम एवं पूरा पता अंकित हेाना अनिवार्य है।
15. कार्य स्थल पर सामग्रियों का रख–रखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था संवेदक को निजी खर्चे पर करना होगा।
16. निविदाकार निविदा देने के पूर्व कार्य स्थ ल का स्वयं निरीक्षण करने के उपरां त स्थल की स्थिति आदि से संतुष्ट होकर निविदा में भाग लेगें।
17. किसी प्रकार की दर बढ़ोतरी (प्राइस एस्केलेशन) मान्य नहीं होगा।
18. शर्त्तयुक्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नहीं होगा।
19. परिमाण विपत्र के साथ संलग्न शर्त्ते एकरारनामा का अंग होगा।
20. सफल निविदादाता को निविदा के निष्पादन के 7 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा अवश्य करना होगा, अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त करते हुये दु सरे न्यूनतम दर दाता के नाम कार्य आवं टित करने हेतु अनुशंसित कर दिया जायेगा।
21. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा।
22. वैसे संवेदक/ फर्म जो एकरारनामा के तय अवधि सीमा में कार्य संपादन नहीं किये है अथवा कार्य लंवित है, कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा नहीं किया हो, उन संवेदकों के ि नविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। वैसे संवेदक जो उपरोक्त तरह के कार्य के कार्यान्वयन में अनुभव रखता हो, को निविदा निष्पादन में वरीयता दी जायेगी।
23. परिमाण विपत्र की दर से 10% (दस प्रतिशत) निम्न दर तक ही निविदा मान्य होगा।
24. कार्य समाप्ति के बाद कार्य का त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि (Defect Liability Period) 06 माह होगा।
25. संवेदक के विपत्र से आयकर, जी0एस0टी0, रॉयल्टी, रैभन्यू आदि के अलावा सरकार के आदेशानुसार 1 (एक) प्रतिशत राशि लेवर शेष हेतु भी काटा जायेगा।
26. जो भी संवेदक BOQ खरीदकर निविदा में भाग नहीं लेगें, उन्हें भविष्य में BOQ निर्गत नहीं किया जायेगा एवं उनका निवंधन रदद् करने तथा काली सूची में डालने हेतु उपायुक्त, पाकुड़ को अनुशंसा की जायेगी।
27. कराये गये कार्य के विरूद्व भुगतान उपायुक्त, पाकुड़ से संबंधित कार्य मद में आवंटन प्राप्त रहने पर ही किया जायेगा।
28. निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में उपरोक्त शर्तो से संबंधित Affidavit/undertaking देना अनिवार्य होगा।
29. एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। ससमय कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा की 10% राशि विपत्र से काटी जायेगी।

ह0/–
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
पाकुड़।